मान्यता कोड : RJAJM27558 प्रारूप-2 6 - 8

(2)

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी AJMER , राजस्थान

क्रमांक 4165 दिनांक 23/11/019

सचिव

प्रबंध समिति

THE VIBRANT ACADEMY KEKRI

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 22357 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, THE VIBRANT ACADEMY KEKRI पता Near Sukh Shanti Nagar, Behind Bharat Petrol Pump,Kekri ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय KEKRI CITY (URBAN AREA) ब्लॉक KEKRI को शैक्षिक सत्र 2018-19 निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

मान्यता का प्रकार	क्रमोन्नति
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

(यह मान्यता पूर्ण रूप से अस्थाई व केवल मात्र दो शैक्षिक सत्र 2018–19 व 2019–20 के लिए ही मान्य है)

मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।

विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पडोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा। पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा

5. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नहीं होगा;

III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक-शाहपुरा (भीलवाड़ा)

PRINCIPAL The Vibrant Academy Kekri

PRINCIPAL The Vibrant Academy Kekri

PRINCIPAL ST.PAUL'S SCHOOL KUCHAMAN CITY(Nagaur) Affiliation No.- 1730415

For Comfort Educational Society

President/Treasurer/Secretary

जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर